इंटरनेशनल ऑर और फर्टिलाइज़र (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

बनाम

एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉपोर्रेशन

18 अगस्त, 1987

[ई. एस. वेंकटरमैया और के. एन. सिंह, न्यायाधिपतिगण]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948: धारा 1(5) और 75 और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 मार्च, 1975 - दुकान' - क्या है।

क़ानून की व्याख्याः कल्याणकारी विधान - उदारवादी निर्माण -आवश्यकता।

शब्द एवं वाक्यांश: 'दुकान' - का अर्थ।

याचिकाकर्ता, एक लिमिटेड कंपनी, जिसका केंद्रीय कार्यालय सिकंदराबाद में है, उर्वरक आयात का व्यवसाय कर रही थी और भारत में अपने उत्पादों की बिक्री के लिए कुछ विदेशी प्रिंसिपलों का प्रतिनिधित्व करती थी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने छह महीने का नोटिस देने के बाद, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(5) के तहत आवश्यक अपनी गजट अधिसूचना संख्या 788 स्वास्थ्य दिनांक 25-9-74 के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से बढ़ा दिया। 30-3-75 से उसमें उल्लिखित प्रतिष्ठानों को अधिसूचना जी.ओ.एम.एस. क्रमांक 297, स्वास्थ्य, दिनांक 25 मार्च, 1975 द्वारा पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 20 या अधिक व्यक्तियों को मजदूरी के लिए नियोजित किया गया था। उस अधिसूचना में प्रतिष्ठानों की सूची में आइटम 3(ii) जिस पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम का विस्तार किया गया था, "दुकानें" थीं।

28-4-75 को सिकंदराबाद में याचिकाकर्ता-कंपनी के परिसर के निरीक्षण पर, कर्मचारी राज्य बीमा निरीक्षक ने पाया कि याचिकाकर्ता ने 27 से 29 वर्ष तक के व्यक्तियों को वेतन के लिए नियोजित किया था और आयात का व्यवसाय कर रहा था। उर्वरक, और याचिकाकर्ता को कर्मचारी (राज्य बीमा अधिनियम) के प्रावधानों का पालन करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता सहमत हो गया और अपने कर्मचारियों के योगदान फॉर्म निगम के कार्यालय में जमा कर दिए।

चार साल की अविध के लिए अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद याचिकाकर्ता ने कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 75 के तहत एक मामला स्थापित किया घोषणा करने के लिये कि जिस प्रतिष्ठान पर याचिकाकर्ता अपना व्यवसाय कर रहा था वह "दुकान" नहीं थी, और इसलिए, यह उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आती थी और याचिकाकर्ता अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने

के लिए उत्तरदायी नहीं था। निगम की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा चलाया जा रहा प्रतिष्ठान एक "दुकान" था और इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए उत्तरदायी है। कर्मचारी बीमा न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को बरकरार रखा और घोषणा की कि प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है।

उच्च न्यायालय ने निगम की अपील को स्वीकार कर लिया और माना कि प्रतिष्ठान एक "दुकान" थी जिस पर राज्य सरकार की अधिसूचना के आधार पर अधिनियम लागू था।

विशेष अनुमित याचिका में, याचिकाकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया था कि चूंकि जिस परिसर में याचिकाकर्ता का प्रतिष्ठान था, वहां वास्तव में कोई सामान वितरित नहीं किया जा रहा था, इसिलए उक्त प्रतिष्ठान को 'दुकान' के रूप में नहीं माना जा सकता था जो कि सरकार की अधिसूचना के मद 3(iii) में उल्लिखित है।

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने, अभिनिर्धारित किया

1. याचिकाकर्ता-कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि सभी प्रासंगिक समय पर, कंपनी ने अपने व्यवसाय के स्थान पर वेतन के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त किया था। [986 ई]

- 2.1 "दुकान" शब्द को अधिनियम या सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में परिभाषित नहीं किया गया है। [985 डी]
- 2.2 सामान्य बोलचाल की भाषा में "दुकान" वह स्थान है जहां सामान खरीदने और बेचने से जुड़ी गतिविधियां चलती हैं। [985 ई]
- 2.3 वास्तव में यह आवश्यक नहीं है कि क्रेता को माल की डिलीवरी उस परिसर में हो जहां खरीदने या बेचने का व्यवसाय किया जाता है ताकि उक्त परिसर को "दुकान" बनाया जा सके। क्रेता को बेचे गए माल की डिलीवरी व्यापारिक गतिविधियों का केवल एक पहलू है। बिक्री की शर्तों पर बातचीत करना, आयातित वस्तुओं का सर्वेक्षण करना, बेची गई वस्तुओं की डिलीवरी की व्यवस्था करना, बेची गई वस्तुओं की कीमत एकत्र करना आदि सभी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं। [985 एच. ए)

मौजूदा मामले में, जिस परिसर में याचिकाकर्ता द्वारा व्यवसाय किया जाता है वह निस्संदेह एक "दुकान" है क्योंकि वहां की जाने वाली गतिविधियां केवल उन वस्तुओं की बिक्री से संबंधित हैं जो भारत में आयात की जाती हैं। याचिकाकर्ता इसके विदेशी प्रिंसिपलों के एजेंट के रूप में कार्य करता है जो विक्रेता हैं। याचिकाकर्ता अपनी सभी गतिविधियों को संबंधित परिसर से निर्देशित और नियंत्रित करता है। यदि ऑर्डर किसी स्थान पर प्राप्त होते हैं जो अंततः बिक्री में परिणत होते हैं और परिणामी

व्यापारिक गतिविधि वहीं से निर्देशित होती है, तो उस स्थान को "दुकान" के रूप में जाना जाता है। [986 बी-सी]

3. उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि अधिनियम और उसके तहत जारी अधिसूचना जैसे कल्याणकारी कानून की व्याख्या करते समय उनके प्रावधानों पर एक उदार संरचना रखी जानी चाहिए ताकि निराश या अपमानित होने के बजाय कानून के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। [986 डी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6765/1985।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सी.एम.ए. संख्या 244/1981 में के निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.12.1984 से।

याचिकाकर्ता की ओर से डी.एन. गुप्ता और विजय कुमार वर्मा। न्यायालय का आदेश वेंकटरमैया, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया।

यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 11.12.84 के फैसले के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमित के लिए दायर की गई है, जिसमें हैदराबाद में कर्मचारी बीमा न्यायालय की फाइल ई.आई. संख्या 4/1980 पर दिनांक 31.12.80 के फैसले के खिलाफ दायर अपील की अनुमित दी गई है।

याचिकाकर्ता एक लिमिटेड कंपनी है जो सिकंदराबाद और भारत में कुछ अन्य स्थानों पर कारोबार करती है। याचिकाकर्ता उर्वरक आयात के व्यवसाय में लगा हुआ है। यह भारत में अपने उत्पादों की बिक्री के लिए कुछ विदेशी प्रिंसिपलों का प्रतिनिधित्व करता है। याचिकाकर्ता भारत में उर्वरकों का आयात करता है जो कि केंद्र सरकार द्वारा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन/मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से खरीदी गई वस्तु है। अपने व्यवसाय के दौरान याचिकाकर्ता स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से निविदाएं प्राप्त करता है और उन्हें विदेश में अपने प्रमुखों को भेज देता है। इसके बाद स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन/मिनरल्स मेटल्स एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और विदेशी प्रिंसिपलों के बीच सीधे बातचीत की जाती है। सौदा पूरा होने और भारतीय बंदरगाहों पर उर्वरक पहुंचने के बाद उर्वरकों को बंदरगाहों पर केंद्र सरकार को सौंप दिया जाता है। केंद्र सरकार को माल पहुंचाने से पहले याचिकाकर्ता माल को उतारने की निगरानी करता है और माल की स्थिति का पता लगाने के लिए आयातित माल का सर्वेक्षण करता है यह पता लगाना के लिये कि खेप में कोई कमी है या नहीं ताकि बाद में वितरित माल की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में कोई विवाद न हो। याचिकाकर्ता-कंपनी के बंदरगाहों पर अपने काम की निगरानी और शिपमेंट के समाशोधन से संबंधित अन्य मामलों में भाग लेने के लिए

और बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में शाखा कार्यालय हैं। इसका केंद्रीय कार्यालय सिकंदराबाद में है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 1(5) के तहत आवश्यक अपनी गजट अधिसूचना संख्या 788 स्वास्थ्य दिनांक 25.9.74 के माध्यम से छह महीने का नोटिस देने के बाद अधिसूचना जी.ओ.एम. क्रम संख्या 297, स्वास्थ्य दिनांक 25 मार्च 1975, आंध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 26 मार्च 1975 में प्रकाशित द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को 30.3.75 से इसे बढ़ाया अन्य बातों के साथ-साथ उसमें उल्लिखित प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है, जिनमें पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 20 या अधिक व्यक्तियों को मजदूरी के लिए नियोजित किया गया था। उस अधिसूचना में प्रतिष्ठानों की सूची में आइटम 3(iii) जिस पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम को इस प्रकार विस्तारित किया गया था "द्कानें"। बीमा निरीक्षक द्वारा उस परिसर का निरीक्षण करने पर जिसमें याचिकाकर्ता सिकंदराबाद में अपना व्यवसाय कर रहा था, 28.4.75 को यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक अवधि के भीतर वेतन के लिए 27 से 29 वर्ष तक के व्यक्तियों को नियुक्त किया था और उर्वरकों के आयात का व्यवसाय चला रहा था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कहने पर याचिकाकर्ता ने सहमति व्यक्त की कि उसका व्यवसाय राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर

अधिनियम के अंतर्गत आता है क्योंकि यह एक "द्कान" है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय में अपने कर्मचारियों के अंशदान प्रपत्र प्रस्तुत किया गया। चार साल की अवधि के लिए अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद याचिकाकर्ता ने अधिनियम के तहत देय योगदान का भुगतान करने के अपने दायित्व के बारे में विवाद उठाया और अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दायर किया, जिसमें से यह याचिका अदालत के समक्ष उठी। हैदराबाद में कर्मचारी बीमा न्यायालय ने घोषणा की कि जिस प्रतिष्ठान में याचिकाकर्ता अपना व्यवसाय कर रहा था वह "द्कान" नहीं थी और इसलिए यह राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आती थी और याचिकाकर्ता अधिनियम के प्रावधानों के साथ अनुपालन के लिए उत्तरदायी नहीं था। उपरोक्त याचिका का क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विरोध किया गया। उनकी ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता द्वारा जो प्रतिष्ठान चलाया जा रहा था वह एक "दुकान" थी और इसलिए यह अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए उत्तरदायी था। कर्मचारी बीमा न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को बरकरार रखा और घोषित किया गया कि याचिकाकर्ता की स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है। कर्मचारी बीमा न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक ने अधिनियम की धारा 82 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी, कर्मचारी बीमा न्यायालय

के फैसले को उलट दिया और याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 75 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय का विचार था कि सिकंदराबाद में याचिकाकर्ता की स्थापना एक "दुकान" थी जिस पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर अधिनियम लागू था। उच्च न्यायालय के फैसले से दुखी होकर याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यह याचिका दायर की है और इस न्यायालय से उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमित देने का अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया है कि च्ंकि याचिकाकर्ता जिस परिसर में अपनी स्थापना कर रहा था, वहां वास्तव में कोई सामान वितरित नहीं किया जा रहा था, इसलिए उक्त प्रतिष्ठान को एक दुकान के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसे सरकार की अधिसूचना के आइटम 3 (iii) में संदर्भित किया गया है। "दुकान" शब्द को अधिनियम या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में परिभाषित नहीं किया गया है। शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार अभिटयिक "दुकान" का अर्थ है "एक घर या इमारत जहां सामान बनाया जाता है या बिक्री के लिए तैयार किया जाता है और बेचा जाता है"। इसका अर्थ "ट्यवसाय का स्थान" या "वह स्थान जहां किसी का सामान्य व्यवसाय होता है" भी है। सामान्य बोलचाल की भाषा में "दुकान" वह स्थान है जहाँ सामान खरीदने और बेचने से जुड़ी गतिविधियाँ की जाती हैं।

मामले में पेश किए गए सबूतों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता सिकंदराबाद में अपने व्यावसायिक परिसर में अपना कारोबार कर रहा है। उस स्थान पर याचिकाकर्ता अपने विदेशी प्रिंसिपलों और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन "मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया" के बीच माल की बिक्री के अनुबंधों के उद्भव की सुविधा के लिए वाणिज्यिक गतिविधि करता है। यह अपनी देखरेख में माल को उतारने की व्यवस्था करता है और अपने विदेशी प्रमुखों की ओर से बंदरगाहों पर भेजे गए माल के सर्वेक्षण के लिए और केंद्र सरकार को वितरित किए जाने वाले माल पर यह सरकार द्वारा देय मूल्य एकत्र करता है और इसे अपने विदेशी प्रमुखों को भेज देता है। ये सभी गतिविधियाँ हैं सिकंदराबाद में अपने परिसर से निर्देशित और वाई-नियंत्रित। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई गतिविधियां व्यापारिक गतिविधियों का गठन करती हैं, हालांकि विदेश से आयातित माल वास्तव में उक्त परिसर में नहीं लाया जाता है और वहां क्रेता को वितरित नहीं किया जाता है। हमारी राय में। वास्तव में यह आवश्यक नहीं है कि क्रेता को माल की डिलीवरी उसी परिसर में हो जहां क्रय का व्यवसाय है या उक्त परिसर को "द्कान" बनाने के लिए बिक्री की जाती है। क्रेता को बेचे गए माल की डिलीवरी व्यापारिक गतिविधियों का केवल एक पहलू है। बिक्री की शर्तों पर बातचीत करना, आयातित वस्तुओं का सर्वेक्षण करना, बेची गई वस्तुओं की डिलीवरी की व्यवस्था करना, बेची गई वस्तुओं की कीमत एकत्र करना आदि सभी व्यापार गतिविधियाँ हैं।

जिस परिसर में याचिकाकर्ता द्वारा व्यवसाय किया जाता है वह निस्संदेह एक द्कान है क्योंकि वहां की जाने वाली गतिविधियां केवल उन वस्तुओं की बिक्री से संबंधित हैं जो भारत में आयात की जाती हैं। याचिकाकर्ता इसके विदेशी प्रिंसिपलों के एजेंट के रूप में कार्य करता है जो विक्रेता हैं। याचिकाकर्ता अपनी सभी गतिविधियों को संबंधित परिसर से निर्देशित और नियंत्रित करता है। यदि ऑर्डर किसी स्थान पर प्राप्त होते हैं जो अंततः बिक्री में परिणत होते हैं और परिणामी व्यापारिक गतिविधि वहीं से निर्देशित होती है तो उस स्थान को "दुकान" के रूप में जाना जाता है। हमारे विचार में कर्मचारी बीमा न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्क को बरकरार रखते हए "द्कान" शब्द की बह्त ही संकीर्ण व्याख्या करते हए "द्कान" को उस स्थान तक सीमित कर दिया जहां माल वास्तव में संग्रहीत किया जाता है और बिक्री के बाद वितरित किया जाता है। हम उच्च न्यायालय के इस निर्णय से सहमत हैं कि कल्याणकारी कानून जैसे अधिनियम और उसमें जारी अधिसूचना की रचना करते समय उनके प्रावधानों को उदारतापूर्वक रखा जाना चाहिए ताकि कानून के उद्देश्य को निराश या निराश होने की तुलना में पूरा किया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता की सिकंदराबाद स्थित द्कान एक "द्कान" है जहां बिक्री गतिविधि चलती है और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर अधिनियम उस पर लागू हो गया है। याचिकाकर्ता अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है क्योंकि सभी प्रासंगिक

समयों में याचिकाकर्ता ने अपने व्यवसाय के स्थान पर मजदूरी के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त किया था। उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।'

परिणामस्वरूप यह याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

एन.पी.वी.

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।